सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 99 राँची, शनिवार, 1 माघ, 1938 (श०) / 21 जनवरी, 2017 (ई०)

## नगर विकास एवं आवास विभाग

---

अधिसूचना

9 जनवरी, 2017

**संख्या:-8/न०वि०/न्या०/107/2012-200--** बिहार नगर निगम अधिनियम, 1978 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) की धारा-2 की उपधारा-(1) एवं (2) में किये गये प्रावधान के आलोक में गजट अधिसूचना संख्या-669, दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 के द्वारा पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिले के जमशेदपुर एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं जुगसलाई नगरपालिका के अधीन शहरी क्षेत्र एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को समाहित करते हुए जमशेदपुर नगर निगम के गठन हेतु ''प्रारूप आदेश'' निर्गत किया गया था ।

जमशेदपुर नगर निगम के गठन से संबंधित उक्त ''प्रारूप आदेश के विरूद्ध टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में **W.P.(C) No.-517/2006,** टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया । माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23 जून, 2006 को पारित न्यायादेश के द्वारा गजट अधिसूचना संख्या-669, दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 को set aside कर दिया गया ।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) No.- 14926/2006,

टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2008 को पारित न्यायादेश के द्वारा यथास्थिति बरकरार रखे जाने का आदेश पारित किया गया ।

पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में SLP (Civil) No.- 14926/2006, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य से उदभूत Civil Appeal No.- 467/2008, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 20 सितम्बर, 2014 को विभाग की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को पारित न्यायादेश में Civil Appeal No.- 467/2008, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य निष्पादित किया जा चुका है ।

उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त **W.P.(C) No.-517/2006,** टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23 जून, 2006 को पारित न्यायादेश के आलोक में गजट अधिसूचना संख्या-669, दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 को निरस्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिंह,**
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 99--300